पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2021

1. दीपचन्द पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुमनरानी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणीया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता स0 318/288 के खसरा स0 475 की 3.934है0 खसरा स0 520/2 की 11.145है0 खसरा स0 553 की 0.202है0 कुल 15.281है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी स0 1 महेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दीपचन्द को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 58/2021

1. दीपचन्द पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:— वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. सुमनरानी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी: वादी
वकील श्री सुरजीत बिजारणीया: प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 05/03/21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता स0 318/288 के खसरा स0 475 की 3.934है0 खसरा स0 520/2 की 11.145है0 खसरा स0 553 की 0.202है0 कुल 15.281है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी स0 1 महेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा हेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। हेतराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्रसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केरीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्यों को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्रों के साथ से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी स0 3 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में दीपचन्द पुत्र महेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही ... प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही मालकस प्रदर्श 2 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:42 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व

Scanned with CamScanner

वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही भाडी प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही मालकस प्रदर्श 2 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना सावित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार महेन्द्रसिंह के एक पुत्र दीपचन्द व एक पुत्री सुमनरानी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रदर्श 2 में वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भुमि भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में है जिसे प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत् रखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में प्रतिवादी सं 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता स0 318/288 के खसरा स0 475 की 3.934है0 खसरा स0 520/2 की 11.145है0 खसरा स0 553 की 0.202है0 कुल 15.281है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी स0 1 महेन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी महेन्द्रसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दीपचन्द को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/21 को मेरे द्वारा लिखवायां जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner